

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (1) (एस-842) अलेसे-1/1370

दिनांक:- 19/12/25

आदेश

पुलिस थाना, एसओजी, राजस्थान, जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 10/2024 में श्री संदीप कुमार लाटा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को पुलिस थाना, एसओजी द्वारा दिनांक 04.06.2025 को गिरफ्तार किये जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 293-304 दिनांक 06.06.2025 द्वारा श्री लाटा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को गिरफ्तारी दिनांक 04.06.2025 से निलंबित करते हुए मुख्यालय, कोषालय, धौलपुर में किया गया था।

श्री संदीप कुमार लाटा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निलंबित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री संदीप कुमार लाटा, निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु इस निदेशालय में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री संदीप कुमार लाटा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 (निलंबित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

19/12/25  
19/12/2025  
(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (1) (एस-842) अलेसे-1/1370

दिनांक:- 19/12/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, धौलपुर।
- 2 श्री संदीप कुमार लाटा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (निलंबित), हाल मुख्यालय, कोषाधिकारी, धौलपुर।
- 3 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 4 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 गार्ड फाईल/पदस्थापन शीट।

19/12/25  
(लखपत शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)